>

Title: Regarding royalty on crude Oil.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, आपने मुझे क्रूड ऑयल रॉयल्टी के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, प्रगतिशील गुजरात केन्द्र सरकार की सन् 1947 से अन्याय की परंपरा से जूझता आ रहा है। गुजरात केन्द्र सरकार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये का राजस्व देता है, लेकिन बदले में उसे 14000 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सिर्फ 8.50 प्रतिशत है। 13वें वित्त आयोग में गुजरात को मिलने वाली केन्द्रीय सहाय 3.47 प्रतिशत से घटाकर 3.4 प्रतिशत करके एक और घोर अन्याय किया गया है। ओएनजीसी के कुल उत्पादन में से 20 प्रतिशत गुजरात से उत्पादित होता है, फिर भी गुजरात क्रूड ऑयल रॉयल्टी के बारे में भारी नुकसान भुगत रहा है। इसके बारे में भारत सरकार द्वारा असम और गुजरात के लिए भिन्न-भिन्न फार्मूलों के क्रियान्वयन के तहत गुजरात को केन्द्र की ओर से 35 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। एनडीए सरकार ने क्रूड ऑयल रॉयल्टी का बेल-हेड प्राइस फार्मूला तय करके मुआवजा दिया था। भारत सरकार की सूचना के तहत ओएनजीसी ने ऑयल वितरित करने वाली भारत सरकार की कंपनियों को क्रूड ऑयल मुआवजे से देना शुरू किया, लेकिन वर्ष 2008 में यूपीए सरकार ने इस फार्मूले का पल भर में रद्द करके पुनः सुओ-मोटो एकतरफा निर्णय देकर गुजरात को अन्याय झेलने के लिए मजबूर कर दिया है।

हमारी मांग है कि इस फार्मूले को हटाना चाहिए और मार्केट प्राइस आधारित मुआवजा मिलना चाहिए। वास्तव में तेल वितरण कम्पनीज को दिया जाने वाला मुआवजा एक आंतरिक व्यवस्था है। इसीलिए उसे रायल्टी प्रक्रिया के बाहर की समझ कर इस रेसहैड प्राइस की कीमत की गिनती नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि क्रूड ऑयल रायल्टी के बारे में केन्द्र सरकार ओएनजीसी को आदेश करे कि गुजरात का जो मुआवजा लम्बित है, उसे पहले की कीमत में रायल्टी के रूप में अदा करे उचित न्याय दे।

सभापति महोदय : मैं जीरो ऑवर के बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य थोड़ी जीरट का आपरेटिव पार्ट पढ़ें और फिर जो मांग करना चाहते हैं, वह करें, इतने सारे पेज़ पढ़ना जरूरी नहीं है।